

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....बनाम.....
 किस्म मुकदमा मु. नं० वर्ष.....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8.1.25	<p>पत्रावली पेश बकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति यत्नीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम डोकन बाट नरदीन तळमीन दामिल टफनर हो।</p> <p style="text-align: right;">BAP</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झान)</p>	